

FORM NO-III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम-रुपनगढ, जिला-अजमेर
तुलसी बनाम चूका देवी

नम्बर- 67 वर्ष:-2025

किस्म मुकदमा-53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.09.2025	<p>यह वाद पत्र वादिया की ओर से वकील श्री विमल किशोर तिवाड़ी ने अन्तर्गत धारा- 53, 188 रा0 का0 अधि0 के तहत पेश किया गया । वाद पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 24-10-25 को पेश हो।</p>	
24/10/25	<p>वा. ए. स्. स. ग. न. पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकाराधि उप. P.O. साहब नर/अवकाश पर पधारे हैं। अतः पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक29-10-25 को पेश हो</p>	<p>NOT Press Am. No. 29-10-25</p>
29-10-25	<p>पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपर प्रतिवादी सं. 1 से 5 के सम्मन तामील बुदा प्राप्त। वकील वादी ने प्रकरण में नॉन प्रेस जाहिर किया। अतः वादी का वाद नॉन प्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल बुमार होकर नम्बर से कम हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
रुपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रुपनगढ (अजमेर)